रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92

REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 21, 1992/अग्रहायण 30, 1914
No. 256] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 21, 1992/AGRAHAYANA 30, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1992

सं. 7 (35)/92—आई. आर. एस.—भारत सरकार ने दिनांक 3-2-1992 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खंड 1 में प्रकाशित संकल्प में, संसद में 24-7-91 को घोषित नई औद्योगिक नीति, जिसका उद्देश्य भारतीय उद्योग का प्रौद्योगिकी कोटि उन्नयन तथा आधुनिकीकरण है, से उत्पन्न होने वाले औद्योगिक पुनः संरचना से प्रभावित श्रमिकों हेतु एक सुरक्षा तंत्र के रूप में राष्ट्रीय नवीकरण निधि (एन आर एफ) की स्थापना की है।

राष्ट्रीय नवीकरण निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों को अब अंतिम रूप दे दिया गया है तथा वे इस प्रकार हैं :—

1. उद्देश्य

राष्ट्रीय नवीकरण निधि के उद्देश्य इस प्रकार है :—

(क) आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा औद्योगिक पुनः संरचना के फलस्वरूप कर्मचारियों के पुनः प्रशिक्षण तथा पुनः नियुक्ति की लागत की पूर्ति के लिए सहायता प्रदान करना।

(ख) जहां आवश्यक हो वहां सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक एककों की पुनः संरचना अथवा इनके बंद हो जाने के कारण प्रभावित श्रमिकों को क्षतिपूर्ति के लिए निधि उपलब्ध कराना।

(ग) औद्योगिक पुनः संरचना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली श्रमिकों की आवश्यकता के लिए एक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन की योजनाओं के लिए निधि उपलब्ध कराना।

2. कार्यक्षेत्र

(1) यह निधि शुरू में एक गैर-सांविधिक स्वरूप की होगी और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों और औद्योगिक उपक्रमों के अंशदान शामिल होंगे।

2. संगठित क्षेत्र से संबंधित सभी मामलों में राष्ट्रीय नवीकरण निधि आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, पुनः संरचना (पुनरुज्जीवन सहित) अथवा औद्योगिक एककों के बंद होने के परिणाम स्वरूप केवल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु ही अन्य स्रोतों से उपलब्ध निधियों के पूरक के रूप में संसाधन उपलब्ध करायेगा। असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय नवीकरण निधि रोजगार सृजन की योजनाओं हेतु संसाधन उपलब्ध करायेगी।

3. घटक

राष्ट्रीय नवीकरण निधि का दो भागों में गठन किया जायेगा।

क. राष्ट्रीय नवीकरण अनुदान निधि (एन. आर. जी एफ.)

निधि का पहला भाग, राष्ट्रीय नवीकरण अनुदान निधि (एन. आर. जी. एफ.) से रुग्ण एककों के पुनर्जीवन अथवा उनके बंद होने से उत्पन्न ऐसी एककों में श्रमिकों की तत्काल अपेक्षाओं को पूरा किया जायेगा। निधियां निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अनुदानों के रूप में वितरित की जायेंगी :—

(क) औद्योगिक उपक्रमों के तकनीकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, पुनः संरचना तथा पुनर्जीवन से प्रभावित कर्मचारियों की सहायता के लिए निधियों की व्यवस्था करना। इन निधियों का प्रयोग निम्नलिखित से संबंधित अनुमोदित योजनाओं के लिए किया जायेगा :—

(i) पुनः प्रशिक्षण।

(ii) पुनर्नियुक्ति

(iii) रोजगार के लिए सलाह और नियुक्ति सेवाएं।

(ख) औद्योगिक उपक्रमों और इसके किसी हिस्से में युक्तिकरण से प्रभावित कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति भुगतान करने के लिए निधियां प्रदान करना। ऐसे भुगतान निम्नलिखित परिस्थितियों में किए जाएंगे :—

(1) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की सिफारिश के अनुसार रुग्णता के परिणामस्वरूप जब कोई औद्योगिक उपक्रम या उसका कोई हिस्सा बंद किया जाता है। इन भुगतानों में विधिक देय राशि का भुगतान तथा ऐच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएं शामिल होंगी। यदि कर्मचारियों को विधिक देय राशि का भुगतान राष्ट्रीय नवीकरण निधि से किया जाता है तो विधि की सम्यक प्रक्रिया के अनुसार जब कभी बंद एककों की परिसम्पत्तियों को बेचा जाएगा तब उन पर यह दावे का रूप लेगा।

(2) जब औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के आदेश के अनुसार रुग्ण एककों के लिए ऐच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं सहित पुनस्थापना योजनाओं के परिणामस्वरूप श्रमिकों के युक्तिकरण का कोई कार्यक्रम है।

(3) सार्वजनिक क्षेत्र के एककों में चल रही ऐच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए जिनके संबंध में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के आदेशों की अनिवार्य रूप से जरूरत नहीं है।

(4) स्वीकृत योजनाओं में राज्य सरकारों द्वारा यथा प्रायोजित परिसमापनाधीन एककों के बंद होने से प्रभावित कर्मचारियों का मुआवजे का भुगतान करना।

ख. रोजगार सृजन निधि (ई. जी. एफ.)

निधि का दूसरा हिस्सा, रोजगार सृजन निधि, रोजगार सृजन के लिए संसाधनों की व्यवस्था करेगा।

यह संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए स्वीकृत रोजगार सृजन योजनाओं हेतु निधियों की व्यवस्था करेगा। इसमें ऐसी योजनाएं शामिल होंगी :—

(क) औद्योगिक पुनः संरचना से प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के पुनः सृजन के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।

(ख) निर्धारित क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र के लिए रोजगार सृजन योजनाएं।

निधियां अनुदान के रूप में दी जाएगी।

4. एन. आर. जी. एफ. और ई. जी. एफ. योजनाएं शुरू होने की तारीख से सीमित अवधि अधिकतम दस वर्षों तक चलेंगी।

5. जिस औद्योगिक उपक्रम के लिए आधुनिकीकरण प्रौद्योगिकी उन्नयन, युक्तिकरण जरूरी है वह निधियां पूंजी बाजार से और सांविधिक ऋण उपलब्ध बाजार दर पर वित्तीय संस्थानों से सामान्य रूप से प्राप्त करेगा। एन. आर. एफ. से निधियां इन वित्तीय संस्थानों द्वारा ऐसी योजनाएं स्वीकृत होने के परिणामस्वरूप केवल श्रमिकों की आवश्यकताओं के लिए होंगी।

राष्ट्रीय नवीकरण निधि के लिए वित्तीय संसाधन

6. राष्ट्रीय नवीकरण निधि के लिए धनराशि की व्यवस्था उस अवधि तक की जायेगी जब तक यह संचालित रहेगी। एन. आर. एफ. धनराशि बजट आवंटन, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी से धनराशि निकाल कर और बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय सहायता स्रोतों की आय से प्राप्त करेगी। एन. आर. जी. एफ. के प्रति सरकार का कोई स्पष्ट उत्तरदायित्व नहीं होगा जो केवल सीमित समयावधि के लिए चलेगा।

ऊपर लिखित संसाधनों के अलावा बीमा कंपनियों, राज्य सरकारों और औद्योगिक उपक्रमों सहित वित्तीय संस्थानों को राष्ट्रीय नवीकरण निधि के लिए स्वैच्छिक आधार पर योगदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

अधिकार प्राप्त प्राधिकरण

7. एन. आर. एफ. का प्रशासन औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय के उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। प्राधिकरण में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

सचिव (औद्योगिक विकास)	अध्यक्ष
सचिव (व्यय)	सदस्य
सचिव (सरकारी उपक्रम)	सदस्य
सचिव (कंपनी कार्य)	सदस्य
सचिव (श्रम)	सदस्य
सचिव (शिक्षा)	सदस्य
आर्थिक सलाहकार, उद्योग मंत्रालय	सदस्य
श्रम मंत्रालय द्वारा नामित किया जाने वाला श्रमिकों का प्रतिनिधि	सदस्य
औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नामित किया जाने वाला नियोक्ताओं का प्रतिनिधि	सदस्य
सरकार से बाहर के दो ऐसे व्यक्ति जिन्हें प्रबंध, औद्योगिक तथा श्रमिक संबंधों में अनुभव या विशेषज्ञता प्राप्त हो	सदस्य
अपर सचिव, औद्योगिक विकास विभाग	कार्यकारी निदेशक

8. यह अधिकार प्राप्त प्राधिकरण अपने सारे कामों के लिए उद्योग मंत्री के प्रति उत्तरदायी होगा। यह 100 करोड़ रुपये की राशि के वितरण हेतु स्वयमेव ही प्रस्ताव अनुमोदित कर देगा। अन्य प्रस्तावों पर उद्योग मंत्री को अनुमति लेनी होगी। यह अधिकार प्राप्त प्राधिकरण अपनी प्रक्रियाओं की नियमावली स्वयं तैयार करेगा।

9. एन. आर. एफ. का यह अधिकार प्राप्त प्राधिकरण भिन्न-भिन्न रूपों में धन उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र होगा। धनराशि का वितरण श्रमिकों के कल्याण का उन योजनाओं हेतु किया जायेगा जो अधिकार प्राप्त प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हों और उन योजनाओं के लिए भी राज्य सरकारों को धन दिया जायेगा जो उनके द्वारा प्रायोजित हो। उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए यह प्राधिकरण केवल उन्हीं स्कीमों पर विचार करेगा जो किसी उत्तरदायी एजेंसी, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.), राज्य सरकार अथवा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा तैयार की गयी हो या चालू की गयी हो।

10. एन. आर. एफ. की लेखा परीक्षा सी. ए. जी. द्वारा की जाएगी।

11. एन. आर. एफ. का रख-रखाव भारत के पब्लिक एकाउंट में किया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इसकी एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों और सभी संघ शासित क्षेत्रों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एन. आर. कृष्णन, अपर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

RESOLUTION

New Delhi, the 21st December, 1992

No. 7(35)/92-IRS.—The Government of India in the Resolution published in the Gazette of India, Extra-Ordinary, Part-I, Section 1, dated 3-2-1992 had established the National Renewal Fund (NRF) as a safety net for workers affected by industrial restructuring arising out of the New Industrial Policy announced in Parliament on 24-7-91 which aimed at technological upgradation and modernisation of the Indian industry.

The guidelines for the National Renewal Fund have now been finalised and are as follows :

Objectives :

The objectives of the National Renewal Fund are :

(a) to provide assistance to cover the costs of retraining and redeployment of employees arising as a result of modernisation, technological upgradation and industrial restructuring;

(b) to provide funds, where necessary for compensation of employees affected by restructuring or closure of industrial units, both in the public and private sectors;

(c) to provide funds for employment generation schemes both in the organised and unorganised sectors in order to provide a social safety net for labour needs arising from the consequences of industrial restructuring.

2. Scope

(i) The fund, to begin with, is of a non statutory nature and may include contributions from, inter-alia, the Government of India, State Governments, Financial Institutions, Insurance Companies and Industrial Undertakings.

(ii) In all the cases in relation to the organised sector, the National Renewal Fund will provide resources only for the rehabilitation of labour resulting from modernisation, technological upgradation, restructuring (including revival) or closure of industrial units as a supplement to the funds available from other sources. In the unorganised sector NRF will provide resources for employment generation schemes.

3. Constituents

The National Renewal Fund will be constituted in two parts.

A. National Renewal Grant Fund (NRGF)

The first part of the fund, the National Renewal Grant Fund (NRGF) will deal with the immediate requirements of labour in sick units arising from revival or closure of such units. The funds will be disbursed in the form of grants for the following purposes :

(a) to provide funds for assisting employees affected by technology upgradation, modernisation, restructuring and revival of industrial undertakings. These funds will be used, inter-alia, for approved schemes relating to :

(i) re-training

(ii) re-deployment

(iii) counselling and placement services for employment:

(b) to provide funds for compensation payments to employees affected by rationalisation in industrial undertakings and parts thereof. Such payments may be made, inter-alia, in the following circumstances :

(i) when industrial undertakings or parts thereof are to be closed as a consequence of sickness as recommended by the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR). These payments may include the payment of legal dues and those under Voluntary Retirement Schemes (VRS). The payment of employees' legal dues, if made from the NRF, would form a claim on the assets of the closed units as and when they are disposed off, according to the due process of law;

(ii) when there is a programme for labour rationalisation resulting from rehabilitation schemes for sick units as ordered by the BIFR, including VRS;

(iii) for Voluntary Retirement Schemes in operation in public sector units, not necessarily requiring BIFR orders;

(iv) payment of compensation to workers affected by closure of units already under lisuidation as may be sponsored by State Governments in approved schemes.

B. Employment Generation Fund (EGF)

The second part of the fund, Employment Generation Fund (EGF) will provide resources for employment generation.

It will provide funds for approved employment generation schemes for both the organised and unorganised sectors. This may include schemes such as :

(a) special programmes designed to regenerate employment opportunities in areas affected by industrial restructuring;

(b) employment generation schemes for the unorganised sector in defined areas.

The funds will be disbursed in the form of grants.

4. The NRGF and EGF will be in operation for a limited period of time upto a maximum period of ten years from the date of their inception.

5. An industrial undertaking requiring modernisation, technological upgradation, rationalisation, will raise funds in the normal way from the capital market and term loans from financial institutions at the available rates of interest. The funds from NRF will be exclusively for the requirements of labour resulting from such schemes when approved by these financial institutions.

6. Financial resources for the NRF

Funding for the NRF will be provided for the period of time that it will be in operation. The NRF may receive funds from budgetary allocation, disinvestment of public sector equity and proceeds from multilateral or bilateral aid sources. There will be no open ended government liability for the NRGF and EGF which would be in operation only for a limited period of time.

In addition to the resources mentioned above, financial institutions including the insurance companies, State Governments and the industrial undertakings would be invited to contribute to the NRF on a voluntary basis.

7. Empowered Authority

The NRF will be administered by a high-level Empowered Authority in the Department of Industrial Development, Ministry of Industry. The authority shall consist of the following :

Secretary (Industrial Development)	Chairman
Secretary (Expenditure)	Member

Secretary (Public Enterprises)	Member
Secretary (Company Affairs)	Member
Secretary (Labour)	Member
Secretary (Education)	Member
Economic Adviser, Ministry of Industry	Member
Labour Representative to be nominated by the Ministry of Labour	Member
Employers' Representative to be nominated by the Department of Industrial Development	Member
Two eminent persons from outside Government, with professional experience or expertise in the fields of management, industrial or labour relations	Members
Additional Secretary, Department of I.D.	Executive Director

8. The Empowered Authority would be responsible to the Minister of Industry for its overall functioning. It would itself approve proposals for disbursement of funds upto a limit of Rs. 100 crores. Other proposals would require approval of the Minister for Industry. The Empowered Authority will devise its own rules of procedures.

9. The Empowered Authority of the NRF will be free to make funds available in different forms. The disbursement will be made for the benefit of labour in schemes approved by the Empowered Authority in respect of the Central public sector, and to the State Governments for schemes sponsored by them. In order to ensure a proper scrutiny the Authority will consider only schemes prepared or underwritten by an accountable agency, Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR), State Government or the administrative Ministry concerned.

10. NRF will be subject to CAG audit.

11. The NRF will be maintained in the public Account of India.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India, all State Governments and Union Territories.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. R. KRISHNAN. Addl. Secy.

3104 GI/92—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993